छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2012

क्रमांक एफ 20–113/2009/ग्यारह/(छैः), राज्य शासन द्वारा औद्योगिक नीति 2009–14 दिनांक 01 नवम्बर 2009 से प्रभावी की गई है जिसकी कंडिका 10.1 एवं नीति के परिशिष्ट–4 की कंडिका –5 में औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के लिए भू–आबंटन में भूमि प्रीमियम में छूट/रियायत का प्रावधान है, अतः राज्य शासन, एतद् द्वारा उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में उपाबंध–1 में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर शेष नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार, उद्योगों में शवलीकरण तथा फारवर्ड एवं बेकवर्ड इन्टीग्रेशन हेतु आबंटित की जाने वाली भूमि पर भूमि प्रीमियम में निम्नानुसार छूट/रियायत संबंधी नियम दिनांक 01 नवम्बर 2009 से लागू करता है :–

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग

क्षेत्र, जहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है/ स्थापित होंगें	उद्योगों की श्रेणी	उद्यमियों का वर्ग			
		सामान्य वर्ग	अप्रवासी भारतीय / शत–प्रतिशत एफ.डी.आई. वाले निवेशक	विकलांग/ महिला उद्यमी /सेवानिवृत्त सैनिक/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
श्रेणी अ– आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (उपाबंध–2 के अनुसार)	अ–सामान्य उद्योग	निरंक	निरंक	निरंक	100 प्रतिशत
	ब–प्राथमिकता उद्योग	50 प्रतिशत	55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	100 प्रतिशत
श्रेणी ब– आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (उपाबंध–3 के अनुसार)	अ–सामान्य उद्योग	50 प्रतिशत	55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	100 प्रतिशत
	ब–प्राथमिकता उद्योग	50 प्रतिशत	55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	100 प्रतिशत

वृहद उद्योग/मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र, जहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है/ स्थापित होंगें	उद्योगों की श्रेणी	उद्यमियों का वर्ग			
		सामान्य वर्ग	अप्रवासी भारतीय /शत – प्रतिशत एफ.डी.आई. वाले निवेशक	विकलांग/ महिला उद्यमी /सेवानिवृत्त सैनिक/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
श्रेणी अ– आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (उपाबंध–2 के अनुसार)	अ–सामान्य उद्योग	10 प्रतिशत	15 प्रतिशत	20 प्रतिशत	100 प्रतिशत
	ब–प्राथमिकता उद्योग	10 प्रतिशत	15 प्रतिशत	20 प्रतिशत	100 प्रतिशत
श्रेणी ब– आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (उपाबंध–3 के अनुसार)	अ–सामान्य उद्योग	10 प्रतिशत	15 प्रतिशत	20 प्रतिशत	100 प्रतिशत
	ब–प्राथमिकता उद्योग	10 प्रतिशत	15 प्रतिशत	20 प्रतिशत	100 प्रतिशत

(1) उपरोक्त छूट/ रियायत लाजिस्टिक हब/वेयर हाउसिंग/कोल्ड स्टोरेज के प्रकरणों में भी प्राप्त होगी ।

(2) औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट औद्योगिक, व्यवसायिक व सेवा उद्यमों हेतु है । भू–भाटक की दर 1 रू. वार्षिक प्रति एकड़ की दर से अधिरोपित की जावेगी ।

(3) अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग से भिन्न उद्योगों के वर्ग से सामान्य दरों पर भू–भाटक अधिरोपित किया जावेगा ।

(4) छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को यह अधिकार होगा कि राज्य शासन की सहायता से स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में एवं स्वयं के स्त्रोतों से स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में सर्विस चार्जेज, भू–प्रब्याजि (भू–प्रीमियम), भू–भाटक, संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क एवं जल शुल्क की दरें निर्धारित करें एवं समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधित करें ।

(5) उपरोक्त तालिका में अंकित छूट/रियायत निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :–

(5.1) उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/ प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदान करना अनिवार्य होगा ।

(5.2) सूक्ष्म, लघु उद्योगों के प्रकरणों में भू–आधिपत्य प्राप्त होने के दिनांक से 2 वर्ष, मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में 3 वर्ष एवं मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में 5 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक होगा, परन्तु औद्योगिक इकाई के अभ्यावेदन पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा इस समय सीमा में वृद्धि की जा सकेगी।

(5.3) यदि छूट/रियायत दिये जाने के पश्चात् यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई ने उक्त छूट/रियायत गलत तथ्य/प्रमाण प्रस्तुत कर प्राप्त कर ली है तो छूट/रियायत की राशि / अतिरिक्त छूट/ रियायत की राशि 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित, भू–राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य, वसूल की जावेगी वसूली योग्य राशि औद्योगिक इकाई को प्राप्त होने वाले अन्य वित्तीय/ कराधान सुविधाओं/ छूट में भी समायोजित की जा सकेगी ।

(5.4) इन नियमों के अधीन प्रथमिकता उद्योग की श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक होगा कि, इकाई के परियोजना प्रतिवेदन में संयंत्र एवं मशीनरी में न्यूनतम पूंजी निवेश की निर्धारित सीमा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–117/2009/ग्यारह/(छैः) दिनांक 24 जनवरी 2012 की तालिका के अनुरूप हो।

(5.5) आवेदक इकाई को उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के लिये यथा स्थिति छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड या मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के साथ एक करार (एग्रीमेन्ट), स्वयं के व्यय पर निष्पादित व पंजीकृत कराना होगा।

(5.6) आवेदकों को भू आबंटन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी यथास्थिति अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण पत्र/अप्रवासी भारतीय, शत्प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक, विकलांग, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति आदि के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे ।

(5.7) इन नियमों के अधीन भू प्रीमियम में छूट/रियायत दिये जाने के प्रयोजन से औद्योगिक क्षेत्र, नवीन उद्योग, विद्यमान उद्योग, विद्यमान उद्योग के विस्तार, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, संतृप्त श्रेणी के उद्योग, प्राथमिकता श्रेणी के उद्योग, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित/स्थापित उद्योग, महिला उद्यमी, विकलांग, सेवा निवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन एवं इस अधिसचूना के प्रयोजन हेतु अन्य परिभाषाएं वहीं होंगी जो औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–1 में दी गई है।

(5.8) किसी भी विवाद पर राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

(6) उपरोक्तानुसार नियम दिनांक 01 नवम्बर 2009 के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर लागू होंगे । जिन औद्योगिक इकाईयों के पक्ष में दिनांक 01 नवम्बर 2009 के पूर्व भू–आशय पत्र जारी किये जा चुके हैं उन्हें उनकी वैधता अवधि तक भू–आशय पत्र में अंकित राशियों एवं शर्तों का पालन करना होगा, ऐसे भू–आशय पत्रों की वैधता अवधि नहीं बढ़ायी जा सकेगी ।

(7) इस अधिसूचना के संदर्भ में औद्योगिक नीति 2009–14 में दिये गये सभी प्रावधान/परिभाषाएं यथावत् लागू होंगे।

(8) यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 204/सी.एन./29980/बजट–5/वित्त/चार/2012 दिनांक 23/03/2012 के संदर्भ में जारी की गयी है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ताक्षरित
(व्ही.के.छबलानी)
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ. क्रमांक एफ 20–113/2009/ग्यारह/(छैः), रायपुर, दिनांक.....मार्च 2012

प्रति,

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़, पण्डरी, रायपुर को सूचनार्थ ।
3. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. पण्डरी, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
4. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ... (छत्तीसगढ़) ।
5. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगॉव, जिला राजनांदगॉव को उपरोक्त अधिसूचना का छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन कर 250 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु।

हस्ताक्षरित
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

औद्योगिक नीति 2009–14 का परिशिष्ट–2

(संतृप्त उद्योगों की सूची जिन्हें भू–प्रब्याजि में छूट/रियायत की पात्रता नहीं है)

(1) स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण

(2) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)

(3) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर

(4) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग, ग्राईडिंग, पलवराइजिंग

(5) चूना निर्माण

(6) पान मसाला, सुपारी एवं अन्य तंबाकू आधारित उद्योग

(7) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)

(8) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस

(9) स्पंज आयरन

(10) राईस मिल

(11) मिनी सीमेंट प्लांट/क्लिंकर

(12) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग

(13) आरा मिल (सॉ मिल)

(14) लेदर टैनरी

(15) जाब वर्क्स (सूक्ष्म उद्योगों द्वारा किये जाने वाले जॉब वर्क को छोड़कर)

(16) भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापित उद्योग

(17) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

,,,,,,

टीपः– संतृप्त श्रेणी का उद्योग अन्य किसी श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में सम्पूर्ण परियोजना को संतृप्त श्रेणी का मानते हुये अनुदान एवं छूट की पात्रता निर्धारित की जायेगी ।

औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्टि–5 में सम्मिलित उद्योग, जिन्हें छूट/रियायत की पात्रता नहीं होगी

अ– सीमेंट / क्लिंकर प्लांट

ब– इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट

स– एल्यूमिना / एल्युमिनियम प्लांट

द– ताप विद्युत संयंत्र

उपाबंध– 2

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों की सूची

1– जिला – रायपुर

विकास खण्ड – धरसीवां, तिल्दा, अभनपुर, बलौदाबाजार, सिमगा, आरंग, भाठापारा, पलारी ।

2– जिला–बिलासपुर

विकासखंड – बिल्हा, कोटा, तखतपुर, मुंगेली, पथरिया, लोरमी ।

3– जिला–दुर्ग

विकास खंड – बेमेतरा, साजा, धमधा, पाटन, गुंडरदेही, गुरूर, बालोद, बेरला, दुर्ग ।

4– जिला – राजनांदगांव

विकास खंड – राजनांदगांव।

5– जिला – महासमुंद

विकास खंड – महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली।

6– जिला – धमतरी

विकास खण्ड – धमतरी, कुरूद, ।

7– जिला – कबीरधाम

विकास खण्ड – कवर्धा।

8– जिला – जांजगीर–चांपा

विकास खण्ड– डभरा, अकलतरा, सक्ती, चांपा (बम्हनीडीह), जांजगीर (नवागढ़), पामगढ़, बलौदा।

9– जिला – रायगढ़

विकास खण्ड – रायगढ़, पुसौर, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया।

10– जिला – कोरबा

विकास खण्ड – कोरबा, कटघोरा ।

उपाबंध– 3

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की सूची

1– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, उत्तर बस्तर कांकेर एवं बस्तर के समस्त विकासखंड

2– दुर्ग जिला – डौंडी, नवागढ़, एवं डौंडी–लोहारा विकासखंड ।

3– राजनांदगांव जिला – अंबागढ़–चौकी, मानपुर, मोहला, छुरिया, छुईखदान, डोंगरगढ़, डोंगरगांव एवं खैरागढ़ विकासखंड।

4– रायपुर जिला – गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, देवभोग, कसडोल, फिंगेश्वर एवं बिलाईगढ़ विकासखंड ।

5– धमतरी जिला – नगरी एवं मगरलोड विकासखंड।

6– रायगढ़ जिला – धरमजयगढ़, बरमकेला, सारंगढ़ एवं लैलूंगा विकासखंड।

7– बिलासपुर जिला – गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही एवं मस्तूरी विकासखंड ।

8– महासमुंद जिला – बसना एवं पिथौरा विकासखंड।

9– कबीरधाम जिला – पंडरिया, लोहारा एवं बोड़ला विकासखंड।

10– जांजगीर–चांपा जिला – मालखरौदा एवं जैजेपुर विकासखंड।

11– कोरबा जिला – करतला, पोड़ी–उपरोड़ा एवं पाली विकासखंड।